




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Ratia (Fatehabad) [3393]
 Principal GSSS Samain (Fatehabad) [3286]
 Principal GSSS Bighar (Fatehabad) [3353]
 Principal GSSS Ratia (Fatehabad) [3393]
 Principal GSSS Jakhal Mandi (Fatehabad) [3277]
 Principal GSSS Shekhupur Daroli (Fatehabad) [3346]
 Principal GSSS Badopal (Fatehabad) [3264]
 Head Master GHS Jandli Khurd (Fatehabad) [3375]
 Principal GSSS Chinder (Fatehabad) [3271]
 Head Master GHS Ayalki (Fatehabad) [3423]
 Head Master GHS Khara Kheri (Fatehabad) [3332]
 Principal GSSS Ramsara (Fatehabad) [3389]
 Head Master GHS Dangra (Fatehabad) [3401]
 Principal GSSS Karandi (Fatehabad) [3298]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ratia (Fatehabad) [3393]	Const. of Veranda in front o	834000.00
2 GSSS Samain (Fatehabad) [3286]	Const. of B/wall	387000.00
3 GSSS Bighar (Fatehabad) [3353]	Const. of 4 toilets boys & gi	420000.00
4 GSSS Ratia (Fatehabad) [3393]	repair of School building	459000.00
5 GSSS Jakhal Mandi (Fatehabad) [3277]	Const. of B/wall	379000.00
6 GSSS Shekhupur Daroli (Fatehabad) [3346]	major repair	84000.00
7 GSSS Badopal (Fatehabad) [3264]	Repair of B/wall	467800.00
8 GHS Jandli Khurd (Fatehabad) [3375]	Construction of B/wall	853000.00
9 GSSS Chinder (Fatehabad) [3271]	Repair of room	555000.00
10 GHS Ayalki (Fatehabad) [3423]	Boundary Wall	528000.00
11 GHS Khara Kheri (Fatehabad) [3332]	Cosnt. Of Floor and plaster	69000.00
12 GSSS Ramsara (Fatehabad) [3389]	Cost. Of B/wall and raising	682000.00
13 GHS Dangra (Fatehabad) [3401]	Const. of height B/wall	300000.00
14 GSSS Karandi (Fatehabad) [3298]	repair of 10 windows and 3	455000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 07.07.2015

पृष्ठाकन कमाक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके पत्र कमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां/ //
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी०सी०ए०) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक/निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Baspadamka (Gurgaon) [856]

Principal GSSS Khor (Gurgaon) [775]

Principal GSSS Bhora Kalan (Gurgaon) [683]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/67/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Baspadamka (Gurgaon) [856]	repair of roof, door, window	975000.00
2 GSSS Khor (Gurgaon) [775]	Const. of B/wall, repair of rc	2000000.00
3 GSSS Bhora Kalan (Gurgaon) [683]	Const. of toilets urinal, boys	445000.00
कुल राशि		3420000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस

विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)


इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गांव को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त गुड़गांव।
- 3 जिला खजाना अधिकारी गुड़गांव
- 4 उप खजाना अधिकारी, पटोदी/सोहना/फारूख नगर///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Sarai khawja (Faridabad) [998]
 Principal GGSSS Tigaon (Faridabad) [1000]
 Principal GGSSS Ballabgarh (Faridabad) [957]
 Principal GGSSS Ballabgarh (Faridabad) [957]
 Principal GSSS Gaunchhi (Faridabad) [977]
 Principal GSSS Bhupani (Faridabad) [958]
 Principal GGSSS Faridabad (NIT No. 3) (Faridabad) [975]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Sarai khawja (Faridabad) [998]	Maintenance of School Building	595000.00
2 GGSSS Tigaon (Faridabad) [1000]	Roof repair 3 rooms	111000.00
3 GGSSS Ballabgarh (Faridabad) [957]	Repair of B/wall	150000.00
4 GGSSS Ballabgarh (Faridabad) [957]	completion of hall work	485000.00
5 GSSS Gaunchhi (Faridabad) [977]	Repair of B/Wall, maingate and Const. of Toilet	1103300.00
6 GSSS Bhupani (Faridabad) [958]	repair of B/wall, main gate and fencing wire	1450000.00
7 GGSSS Faridabad (NIT No. 3) (Faridabad) [975]	repair	856000.00
कुल राशि		4750300.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-


- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फरीदाबाद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फरीदाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फरीदाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, बल्लबगढ़ ///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Head Master GHS Jhumpa Kalan (Bhiwani) [670]
 Principal GSSS Sanga (Bhiwani) [361]
 Head Master GHS Nawa Rajgarh (Bhiwani) [422]
 Head Master GHS Dhani Hanuman (Bhiwani) [631]
 Principal GSSS Singhani (Bhiwani) [552]
 Principal GSSS Manheru (Bhiwani) [456]
 Principal GSSS Manheru (Bhiwani) [456]
 Head Master GHS Patwan (Bhiwani) [648]
 Principal GSSS Ratera (Bhiwani) [398]
 Head Master GGHS Isharwal (Bhiwani) [464]
 Head Master GHS Dalawas (Bhiwani) [490]
 Head Master GHS Kari Adu (Bhiwani) [4348]
 Principal GGSSS Pur (Bhiwani) [366]
 Head Master GHS Pur (Bhiwani) [402]
 Head Master GHS Sehar (Bhiwani) [556]
 Head Master GHS Fartia Bhima (Bhiwani) [555]
 Principal GSSS Mundhal Khurd (Bhiwani) [376]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/67/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Jhumpa Kalan (Bhiwani) [670]	Extension B/wall	325000.00
2 GSSS Sanga (Bhiwani) [361]	Repair Building	376000.00
3 GHS Nawa Rajgarh (Bhiwani) [422]	White wash	70000.00
4 GHS Dhani Hanuman (Bhiwani) [631]	Repair of 7 room	550000.00
5 GSSS Singhani (Bhiwani) [552]	Raising of B/wall	145000.00
6 GSSS Manheru (Bhiwani) [456]	repair of school room	162300.00
7 GSSS Manheru (Bhiwani) [456]	Repair of rooms	34500.00
8 GHS Patwan (Bhiwani) [648]	Reasing of B/wall and repair	64600.00


9	GSSS Ratera (Bhiwani) [398]	Const. of B/wall and repair	1663700.00
10	GGHS Isharwal (Bhiwani) [464]	Boundary Wall Const.	584000.00
11	GHS Dalawas (Bhiwani) [490]	building repair	452000.00
12	GHS Kari Adu (Bhiwani) [4348]	repair of building	316000.00
13	GGSSS Pur (Bhiwani) [366]	Cost. Of B/wall	249000.00
14	GHS Pur (Bhiwani) [402]	repair and const. of B/wall	442000.00
15	GHS Sehar (Bhiwani) [556]	repair of rooms, slab	652000.00
16	GHS Fartia Bhima (Bhiwani) [555]	Raising of B/wall	186000.00
17	GSSS Mundhal Khurd (Bhiwani) [376]	Const. of B/wall	455000.00

कुल राशि 6727100.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।




 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

 सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला। 



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

Directorate of School Education / विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
लमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Ambala Cantt. (Ram Bagh Road) (Ambala) [7]

Principal GSSS Nahouni (Ambala) [32]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-



विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ambala Cantt. (Ram Bagh Road) (Ambala) [7]	reapir of 5 class room	445400.00
2 GSSS Nahouni (Ambala) [32]	Repair	683000.00
कुल राशि		1128400.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।




 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।


पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GGSSS Narnaund (Hisar) [1305]
 Principal GSSS Dobhi (Hisar) [1437]
 Head Master GHS Bagla (Hisar) [1181]
 Principal GSSS Chuli Bagarian (Hisar) [1201]
 Principal GSSS Mohabatpur (Hisar) [1251]
 Head Master GGHS Depal (Hisar) [1365]
 Head Master GGHS Depal (Hisar) [1365]
 Head Master GHS Hindwan (Hisar) [1218]
 Principal GGSSS Mangali (Hisar) [1461]
 Principal GSSS Barwala Anaj Mandi (Hisar) [1428]
 Principal GSSS Hisar (Patel Nagar) (Hisar) [1466]
 Principal GGSSS Satrod Khas (Hisar) [1474]
 Principal GSSS Hisar (Patel Nagar) (Hisar) [1466]
 Principal GSSS Narnaund (Hisar) [1478]
 Principal GSSS Narnaund (Hisar) [1478]
 Principal GGSSS Umra (Hisar) [1483]
 Principal GSSS Niana (Hisar) [1255]
 Principal GSSS Kalwas (Hisar) [1450]
 Principal GSSS Khedar (Hisar) [1455]
 Head Master GHS Rawat Khera (Hisar) [1263]
 Principal GSSS Rampura (Hisar) [1311]
 Head Master GGHS Bandaheri (Hisar) [1324]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 02/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलट्रेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Narnaund (Hisar) [1305]	Const. of B/wall	869000.00
2 GSSS Dobhi (Hisar) [1437]	Building repair	257000.00
3 GHS Bagla (Hisar) [1181]	B/wall and main gate	285000.00
4 GSSS Chuli Bagarian (Hisar) [1201]	white wash	76300.00
5 GSSS Mohabatpur (Hisar) [1251]	white wash	22000.00
6 GGHS Depal (Hisar) [1365]	Repair of rooms	396000.00

7	GGHS Depal (Hisar) [1365]	repair room	290000.00
8	GHS Hindwan (Hisar) [1218]	Repair rooms	100000.00
9	GGSSS Mangali (Hisar) [1461]	Repair	112000.00
10	GSSS Barwala Anaj Mandi (Hisar) [1428]	B/wall repair	654000.00
11	GSSS Hisar (Patel Nagar) (Hisar) [1466]	Open stairs Const.	34000.00
12	GGSSS Satrod Khas (Hisar) [1474]	Cont. of girls toilets	200000.00
13	GSSS Hisar (Patel Nagar) (Hisar) [1466]	Building repair, white wash	110000.00
14	GSSS Narnaund (Hisar) [1478]	Const. of Toilets	200000.00
15	GSSS Narnaund (Hisar) [1478]	Anval mantance	748000.00
16	GGSSS Umra (Hisar) [1483]	Anval mantance	652000.00
17	GSSS Niana (Hisar) [1255]	Const. of B/wall and water tr	926000.00
18	GSSS Kalwas (Hisar) [1450]	repair of roof, new doors, pl	919000.00
19	GSSS Khedar (Hisar) [1455]	repair /maintance work insid	806300.00
20	GHS Rawat Khera (Hisar) [1263]	repair and white wash, paint	662500.00
21	GSSS Rampura (Hisar) [1311]	tiling work, flooring electrici	192900.00
22	GGHS Bandaheri (Hisar) [1324]	Repair	1026000.00


कुल राशि

9538000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के **Engineering** सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

सुइ खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 02-07-2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Kheri Asra (Jhajjar) [3167]
 Principal GSSS Bhindawas (Jhajjar) [3241]
 Principal GSSS Achhej Paharipur (Jhajjar) [3073]
 Head Master GHS Ladpur (Jhajjar) [3172]
 Principal GSSS Ruriawas (Jhajjar) [3234]
 Principal GSSS Bupania (Jhajjar) [3114]
 Principal GSSS Dubaldhan (Jhajjar) [3075]
 Principal GSSS Matan Hail (Jhajjar) [3070]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला ०१/०७/२०१५

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kheri Asra (Jhajjar) [3167]	Repair of 6 NOS room with	1728000.00
2 GSSS Bhindawas (Jhajjar) [3241]	repair	1705000.00
3 GSSS Achhej Paharipur (Jhajjar) [3073]	repair	201800.00
4 GHS Ladpur (Jhajjar) [3172]	Repair/white wash	83600.00
5 GSSS Ruriawas (Jhajjar) [3234]	sepcial repair	140000.00
6 GSSS Bupania (Jhajjar) [3114]	complection of 6 room	214000.00
7 GSSS Dubaldhan (Jhajjar) [3075]	Retaing wall	785000.00
8 GSSS Matan Hail (Jhajjar) [3070]	repair of room	515000.00


कुल राशि 5372400.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतों यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक, पंचकुला 08-07-2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, झज्जर को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त झज्जर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी झज्जर
- 4 उप खजाना अधिकारी, बेरी/बहादुरगढ़/मातनहेल//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Bata (Kaithal) [2153]
 Principal GSSS Kharakan (Kaithal) [2158]
 Principal GSSS Pabnawa (Kaithal) [2177]
 Principal GSSS Cheeka (Kaithal) [2196]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 02/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Bata (Kaithal) [2153]	Construction of toilets for bc	210000.00
2 GSSS Kharakan (Kaithal) [2158]	Const. of B/wall and buildin	1457000.00
3 GSSS Pabnawa (Kaithal) [2177]	repair of school building	165400.00
4 GSSS Cheeka (Kaithal) [2196]	major repair of old building	748500.00
कुल राशि		2580900.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च

करने का कष्ट करें।

- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक शिक्षा
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
- 4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GGSSS Kalwan (Jind) [1736]
 Principal GSSS Ghogiran (Jind) [1734]
 Principal GSSS Dhigana (Jind) [1694]
 Head Master GHS Sulehra (Jind) [1726]
 Principal GSSS Uchana Kalan (Jind) [1523]
 Principal GSSS Malvi (Jind) [1673]
 Principal GGSSS Uchana Mandi (Jind) [1524]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 02/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGSSS Kalwan (Jind) [1736]	Raising of B/wall and white washing and paint	458400.00
2 GSSS Ghogiran (Jind) [1734]	repair rooms	1347000.00
3 GSSS Dhigana (Jind) [1694]	Const. of B/wall and baramda	829000.00
4 GHS Sulehra (Jind) [1726]	repair of main gate	85000.00
5 GSSS Uchana Kalan (Jind) [1523]	Repair of B/wall	1217000.00
6 GSSS Malvi (Jind) [1673]	Repair	583600.00
7 GGSSS Uchana Mandi (Jind) [1524]	Repair	1500000.00

कुल राशि


6020000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 05.07.2015

पृष्ठाकन कमाक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जीद
- 4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GGHS Gagsina (Karnal) [1959]
Principal GSSS Chirao (Karnal) [4272]
Principal GSSS Shamgarh (Karnal) [1909]
Principal GSSS Biana (Karnal) [1957]
Principal GSSS Padha (Karnal) [1801]
Head Master GHS Hanaori (Karnal) [1824]
Principal GSSS Kalri Jagir (Karnal) [1875]
Head Master GHS Shahpur (Karnal) [1907]
Head Master GHS Raipur Jattan (Karnal) [1903]
Principal GSSS Kalri Jagir (Karnal) [1875]
Principal GSSS Padhana (Karnal) [1949]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GGHS Gagsina (Karnal) [1959]	Const. of B/wall	1206000.00
2 GSSS Chirao (Karnal) [4272]	repair of Old Building	103000.00
3 GSSS Shamgarh (Karnal) [1909]	cement plaster of B/wall	106000.00
4 GSSS Biana (Karnal) [1957]	Repair of B/wall & water tar	781000.00
5 GSSS Padha (Karnal) [1801]	Cost. B/wall	569000.00
6 GHS Hanaori (Karnal) [1824]	repair	1174000.00
7 GSSS Kalri Jagir (Karnal) [1875]	varandah slab, cycle stand	573000.00
8 GHS Shahpur (Karnal) [1907]	Repair/alteration	100000.00
9 GHS Raipur Jattan (Karnal) [1903]	repair of room and B/wall , t	971000.00
10 GSSS Kalri Jagir (Karnal) [1875]	demadn of footh path, cycle	716000.00
11 GSSS Padhana (Karnal) [1949]	Const. of B/wall and raising	783200.00

कुल राशि 7082200.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन

से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 03.07.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Balahi (Kurukshetra) [2306]
 Principal GSSS Devidasspura (Kurukshetra) [2313]
 Principal GSSS Bhatari (Kurukshetra) [2420]
 Head Master GGHS Ajrana Kalan (Kurukshetra) [2445]
 Principal GSSS Mangoli Jattan (Kurukshetra) [2327]
 Principal GSSS Kalsana (Kurukshetra) [2403]
 Principal GSSS Kharindwa (Kurukshetra) [2404]
 Principal GSSS Mehra (Kurukshetra) [2447]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला २२/०७/२०१५

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष
 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Balahi (Kurukshetra) [2306]	Repair of School	484000.00
2 GSSS Devidasspura (Kurukshetra) [2313]	Repair of School	488000.00
3 GSSS Bhatari (Kurukshetra) [2420]	Repair of school building	286000.00
4 GGHS Ajrana Kalan (Kurukshetra) [2445]	School building repair	265000.00
5 GSSS Mangoli Jattan (Kurukshetra) [2327]	Const. of B/wall of play groi	152000.00
6 GSSS Kalsana (Kurukshetra) [2403]	Const. of main gate	72000.00
7 GSSS Kharindwa (Kurukshetra) [2404]	Const. of B/wall	476000.00
8 GSSS Mehra (Kurukshetra) [2447]	repairs	494700.00
कुल राशि		2717700.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 03.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कुरुक्षेत्र।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कुरुक्षेत्र
- 4 उप खजाना अधिकारी, शाहबाद/पेहवा/लाडवा/ईस्मायलाबाद///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Ferozpur Jhirka (Mewat) [884]
 Head Master GHS Mahun (Mewat) [825]
 Principal GSSS Bichhor (Mewat) [880]
 Principal GSSS Kalwari (Mewat) [799]
 Principal GGSSS Taoru (Mewat) [794]
 Head Master GHS Sangail (Mewat) [707]
 Principal GSSS Nagina (Mewat) [873]
 Head Master GHS Mandi Khera (Mewat) [727]
 Principal GSSS Badarpur (Mewat) [821]
 Head Master GHS Alduka (Mewat) [795]
 Principal GSSS Baded (Mewat) [881]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 02/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Ferozpur Jhirka (Mewat) [884]	Sanitation work	21000.00
2 GHS Mahun (Mewat) [825]	Sanitation work	22500.00
3 GSSS Bichhor (Mewat) [880]	Sanitation work	5000.00
4 GSSS Kalwari (Mewat) [799]	Sanitation work	6400.00
5 GGSSS Taoru (Mewat) [794]	Sanitation work	5500.00
6 GHS Sangail (Mewat) [707]	Sanitation work	4400.00
7 GSSS Nagina (Mewat) [873]	Sanitation work	22000.00
8 GHS Mandi Khera (Mewat) [727]	Sanitation work	5500.00
9 GSSS Badarpur (Mewat) [821]	Sanitation work	16196.00
10 GHS Alduka (Mewat) [795]	construction of New B/wall	14500.00
11 GSSS Baded (Mewat) [881]	New B/wall required	400000.00

कुल राशि

522996.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन

से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेसन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 08-07-2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, मेवात को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त मेवात।
- 3 जिला खजाना अधिकारी मेवात
- 4 उप खजाना अधिकारी, नूह (मेवात)/फिरोजपुर झिरका/पुनहाना (मेवात)/तावडू (मेवात)///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Malra Bass (Mahendergarh) [3970]

Principal GSSS Khatodra (Mahendergarh) [3967]

Head Master GHS Tigra (Mahendergarh) [3949]

Principal GSSS Pali (Mahendergarh) [3892]

Principal GSSS Beri (Mahendergarh) [3908]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला ०३/०७/२०१५

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Malra Bass (Mahendergarh) [3970]	repairs of roofs	466000.00
2 GSSS Khatodra (Mahendergarh) [3967]	raising of B/wall	235000.00
3 GHS Tigra (Mahendergarh) [3949]	Const. of B/wall	1345000.00
4 GSSS Pali (Mahendergarh) [3892]	raising of B/wall	398000.00
5 GSSS Beri (Mahendergarh) [3908]	Const. of B/wall	218000.00
कुल राशि		2662000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोकनिर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला
 दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, महेन्द्रगढ़ को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त महेन्द्रगढ़।
- 3 जिला खजाना अधिकारी नारनौल
- 4 उप खजाना अधिकारी, महेन्द्रगढ़/अटेली/नांगल चौधरी/कनीना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Raipur Rani (Panchkula) [3708]
 Principal GSSS Rajjipur (Panchkula) [3710]
 Principal GSSS Mallah (Panchkula) [3701]
 Principal GSSS Pinjore (Panchkula) [3706]
 Principal GSSS Ramgarh (Panchkula) [3707]
 Head Master GHS Billa (Panchkula) [3744]
 Principal GSSS Toda (Panchkula) [3712]
 Head Master GGHS Raipur Rani (Panchkula) [3734]
 Principal GSSS Kalka (Panchkula) [3697]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 2/4/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Raipur Rani (Panchkula) [3708]	Const. of B/wall	198500.00
2 GSSS Rajjipur (Panchkula) [3710]	Building repair	1622000.00
3 GSSS Mallah (Panchkula) [3701]	repair o roof, B/wall and bat	380000.00
4 GSSS Pinjore (Panchkula) [3706]	maintance and repair	696000.00
5 GSSS Ramgarh (Panchkula) [3707]	White wash	98000.00
6 GHS Billa (Panchkula) [3744]	White wash	64000.00
7 GSSS Toda (Panchkula) [3712]	Const. of B/wall and repair c	357000.00
8 GGHS Raipur Rani (Panchkula) [3734]	maintance of 10 room	160000.00
9 GSSS Kalka (Panchkula) [3697]	Complection work	752000.00

कुल राशि


4327500.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेसन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होती उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक (निर्माण)
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला
 दिनांक, पंचकुला 09.03.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकुला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक (निर्माण)
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Karhans (Panipat) [2099]
Principal GSSS Dariyapur (Panipat) [2022]
Principal GSSS Beholi (Panipat) [2075]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला ०७/०७/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रूपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Karhans (Panipat) [2099]	Repair of rooms	1307000.00
2 GSSS Dariyapur (Panipat) [2022]	repair of buildng	320300.00
3 GSSS Beholi (Panipat) [2075]	Retaning and B/wall	934000.00
कुल राशि		2561300.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 09.06.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पानीपत।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पानीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, समालखा/इसराना/बापोली/मडलोडा///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Gharrot (Palwal) [1143]
Principal GSSS Hassanpur (Palwal) [1003]
Principal GSSS Kot (Palwal) [1053]
Principal GGSSS Palwal City (Palwal) [992]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/09/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Gharrot (Palwal) [1143]	Const. of B/wall	2000000.00
2 GSSS Hassanpur (Palwal) [1003]	Balance work of room and lab	514000.00
3 GSSS Kot (Palwal) [1053]	Const. of B/wall	1035000.00
4 GGSSS Palwal City (Palwal) [992]	Repair and B/wall	972000.00
कुल राशि		4521000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एन0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण,
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 03-07-2015

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पलवल को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पलवल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पलवल
- 4 उप खजाना अधिकारी, पलवल/होडल/हथीन///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Pali (Rewari) [2539]
 Principal GSSS Mastapur (Rewari) [2584]
 Head Master GHS Nikhari (Rewari) [2499]
 Principal GSSS Kanwali (Rewari) [2528]
 Principal GSSS Motla Kalan (Rewari) [2536]
 Principal GSSS Kanhori (Rewari) [2487]
 Principal GSSS Rewari (Rewari) [2540]
 Principal GGSSS Dahina (Rewari) [2524]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 09/07/2015

विषय मार्डनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Pali (Rewari) [2539]	Repair	213000.00
2 GSSS Mastapur (Rewari) [2584]	Repair of Building	544000.00
3 GHS Nikhari (Rewari) [2499]	repair of roof	400000.00
4 GSSS Kanwali (Rewari) [2528]	B/wall repair	361000.00
5 GSSS Motla Kalan (Rewari) [2536]	building repair	487000.00
6 GSSS Kanhori (Rewari) [2487]	Const. and repair of school b	812000.00
7 GSSS Rewari (Rewari) [2540]	repair of 4 NOS lab	1285000.00
8 GGSSS Dahina (Rewari) [2524]	repair of school building	1290500.00

कुल राशि

5392500.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 30.06.2015
31/7/15

पृष्ठाकन कमाक 2/43-2015 निर्माण (2)

- इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-
- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रिवाड़ी को उनके पत्र कमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
 - 2 अतिरिक्त उपायुक्त रिवाड़ी।
 - 3 जिला खजाना अधिकारी रिवाड़ी
 - 4 उप खजाना अधिकारी, कौसली/बावल///
 - 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
 - 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
 - 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
 - 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
 - 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
 - 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Titoli (Rohtak) [2708]
 Principal GSSS Kakrana (Rohtak) [2709]
 Principal GSSS Marodhi Jattan (Rohtak) [2690]
 Head Master GHS Naya Bans (Rohtak) [2759]
 Head Master GHS Basana (Rohtak) [2736]
 Head Master GHS Patwapur (Rohtak) [2782]
 Principal GSSS Lahli (Rohtak) [2763]
 Principal GSSS Garnavthi (Rohtak) [2653]
 Principal GSSS Khairari (Rohtak) [2781]
 Principal GSSS Sundana (Rohtak) [2682]
 Head Master GHS Nandal (Rohtak) [2758]
 Principal GGSSS Chiri (Rohtak) [2811]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 30/06/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Titoli (Rohtak) [2708]	rooms repair & white wash	616400.00
2 GSSS Kakrana (Rohtak) [2709]	Playground and B/wall const	344000.00
3 GSSS Marodhi Jattan (Rohtak) [2690]	Roof slab laid on two rooms	324000.00
4 GHS Naya Bans (Rohtak) [2759]	Repair of class room	293300.00
5 GHS Basana (Rohtak) [2736]	repair of 2 room	63800.00
6 GHS Patwapur (Rohtak) [2782]	repair of 4 room	133400.00
7 GSSS Lahli (Rohtak) [2763]	repair of 2 room	173700.00
8 GSSS Garnavthi (Rohtak) [2653]	repair of 3 room	30700.00
9 GSSS Khairari (Rohtak) [2781]	major repair of 8 room	221600.00
10 GSSS Sundana (Rohtak) [2682]	major repair of 20 room	532200.00
11 GHS Nandal (Rohtak) [2758]	repair of school building	415300.00
12 GGSSS Chiri (Rohtak) [2811]	repair of school building	240700.00


कुल राशि

3389100.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुर्म्मत/अलटरेसन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।

पृष्ठाकन कमाक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक, पंचकुला 30.06.2015

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुर्म्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक।
- 3 जिला खजाना अधिकारी रोहतक
- 4 उप खजाना अधिकारी, महम/साम्पला/कलानौर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Head Master GHS Chamal (Sirsa) [2901]
 Principal GSSS Madhosinghana (Sirsa) [2833]
 Principal GSSS Suchan (Sirsa) [2934]
 Principal GSSS Panniwala Mota (Sirsa) [4148]
 Head Master GHS Khairekan (Sirsa) [2915]
 Principal GSSS Goriwala (Sirsa) [4145]
 Principal GSSS Kussar (Sirsa) [2981]
 Principal GSSS Dhottar (Sirsa) [2975]
 Head Master GHS Jagmalwali (Sirsa) [2862]
 Head Master GHS Gudrana (Sirsa) [2859]
 Principal GSSS Rupawas (Sirsa) [3024]
 Head Master GHS Ludesar (Sirsa) [2920]
 Principal GSSS Jodhkan (Sirsa) [2897]
 Head of Institution GGMS Gudia Khera (Sirsa) [5934]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Chamal (Sirsa) [2901]	repair of class room	332000.00
2 GSSS Madhosinghana (Sirsa) [2833]	Building repair	245000.00
3 GSSS Suchan (Sirsa) [2934]	White wash and paint	200000.00
4 GSSS Panniwala Mota (Sirsa) [4148]	Raising of B/wall and Main	797000.00
5 GHS Khairekan (Sirsa) [2915]	repair of class room	584000.00
6 GSSS Goriwala (Sirsa) [4145]	room and varadma roof repa	122000.00
7 GSSS Kussar (Sirsa) [2981]	repair tiles and rooms	117000.00
8 GSSS Dhottar (Sirsa) [2975]	repair of rooms	285000.00
9 GHS Jagmalwali (Sirsa) [2862]	repair of rooms	167000.00
10 GHS Gudrana (Sirsa) [2859]	repair of rooms	172000.00
11 GSSS Rupawas (Sirsa) [3024]	repair of rooms	50000.00
12 GHS Ludesar (Sirsa) [2920]	repair of rooms	72000.00
13 GSSS Jodhkan (Sirsa) [2897]	repair of rooms	136000.00
14 GGMS Gudia Khera (Sirsa) [5934]	repair of school building	2000000.00

कुल राशि

5279000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशियफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक/निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 03.07.2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सिरसा को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सिरसा।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सिरसा
- 4 उप खजाना अधिकारी, रानिया/डबवाली/ऐलनाबाद/कलावली//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

- Principal GSSS Kheri Gujjar (Sonipat) [3470]
 Head Master GHS Siwanka (Sonipat) [3579]
 Principal GGSSS Madina (Sonipat) [3569]
 Principal GSSS Bhaishwan Khurd (Sonipat) [3580]
 Principal GSSS Khanpur Kalan (Sonipat) [3474]
 Principal GGSSS Nahri (Sonipat) [3641]
 Principal GSSS Jouli (Sonipat) [3466]
 Head Master GHS Pabnera (Sonipat) [3527]
 Principal GSSS Anwali (Sonipat) [3584]
 Principal GSSS Kheri Damkan (Sonipat) [3558]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 30/06/2015 / 7-7-15

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GSSS Kheri Gujjar (Sonipat) [3470]	wall cost retaining	799000.00
2 GHS Siwanka (Sonipat) [3579]	repair of room	800000.00
3 GGSSS Madina (Sonipat) [3569]	repair of class room	1224000.00
4 GSSS Bhaishwan Khurd (Sonipat) [3580]	building repair	1572000.00
5 GSSS Khanpur Kalan (Sonipat) [3474]	Const. and repair of B/wall	451000.00
6 GGSSS Nahri (Sonipat) [3641]	Const. of girls toilets water t	315000.00
7 GSSS Jouli (Sonipat) [3466]	repair of 3 rooms	754000.00
8 GHS Pabnera (Sonipat) [3527]	repair of rooms	786000.00
9 GSSS Anwali (Sonipat) [3584]	building repair	1477000.00
10 GSSS Kheri Damkan (Sonipat) [3558]	Estimate for repair of 3 room	970000.00

कुल राशि


9148000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

- 2 निमाण का काय लोड निमाण विभाग के स्पैशफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादि क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 - Secondary Education - 053-Maintance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works" (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला

दिनांक, पंचकुला 30.06.2015

पृष्ठाकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, सोनीपत को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त सोनीपत।
- 3 जिला खजाना अधिकारी सोनीपत
- 4 उप खजाना अधिकारी, गोहाना/गनौर/खरखोदा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

 सहायक निदेशक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 लमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Mandebri (Yamuna Nagar) [229]
 Head Master GHS Haibat Pur (Yamuna Nagar) [213]
 Head Master GHS Darwa (Yamuna Nagar) [244]
 Principal GSSS Chhachharauli (Yamuna Nagar) [205]

यादी क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 03/07/2015

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 09.05.05 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/43-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1000.00 लाख रुपये की राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1 GHS Mandebri (Yamuna Nagar) [229]	Re-Constructin of Building	413000.00
2 GHS Haibat Pur (Yamuna Nagar) [213]	repair /maintance work	553000.00
3 GHS Darwa (Yamuna Nagar) [244]	repair /maintance work	34000.00
4 GSSS Chhachharauli (Yamuna Nagar) [205]	repair /maintance work	342000.00
कुल राशि		1342000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।
- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एम0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च

करने का कष्ट करें।

- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintenance of Building (98)) Construction/Extension of Building of High/Sr.Sec. School- (17) Minor Works” (Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

सहायक निदेशक/निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 15-07-2015

पृष्ठांकन क्रमांक 2/43-2015 निर्माण (2)

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर को उनके पत्र क्रमांक जी-1/2015/6390 दिनांक 20.02.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त यमुनानगर।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जगाधरी
- 4 उप खजाना अधिकारी, यमुनानगर/छछरोली/बिलासपुर/सडौरा/रादौर//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक निदेशक/निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला